पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

हड़मतिया

गाँव- हड़मतिया

पंचायत- पालमाण्डव

तहसील- दोवड़ा, जिला- डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

हड़मतिया गाँव का इतिहास

हड़मतिया गाँववासियों के अनुसार यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसे हड़मतिया हनुमान कहा जाता है, गाँव वालों की मान्यता है कि एक पहाड़ से हनुमान जी की मूर्ति निकली तथा यह मूर्ति धरिया धरा से मातरिवा ले जा रहे थे तो रास्ते मे मुलि सलाय की पाल में स्थापित की गई। जब अग्रेजों का शासन था तब से गाँव हड़मतिया बसा। इस मंदिर पर हर साल तीन दिन का एक मेला लगता है जिसका पूरा प्रबन्धन गाँव के लोग ही करते है । हनुमान जी के मंदिर पर दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते है तथा यहाँ प्रसाद बनाते है तथा हनुमान जी को भोग चढाते है।

हड़मतिया गाँव का परिचय

हड़मतिया गाँव पालमाण्डव ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव है । जो कि डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। हड़मतिया गाँव के पडोसी निम्नलिखित गाँव है - रामा, जोगीवाडा, कुबेरा, पालमाण्डव, समोता, दरा और खांडा । हड़मतिया गाँव की सीमा से पूर्व में समोता, दक्षिण में घटियाघरा और छारनी, पश्चिम में डूंगरा गाँव है ।

राजस्व गाँव हड़मतिया दो वार्ड में विभक्त है-

1. वार्ड न. 5
2. वार्ड न. 7

हड़मतिया गाँव में 26 जनवरी, 2018 को शिलालेख हुआ है, 2 फरवरी को शांति समिति का गठन किया गया । गाँव में करीब 110 घर है जिनकी आबादी करीब 650 है। गाँव के लोग छोटे-2 समूहों में अपने खेतों के पास पहाडियों में रहते है। जहां आने जाने के लिये केवल पगडण्डिया ही है। गाँव में सभी लोग एस.टी. जाति के लोग रहते है, जिनकी उपजातियां ''परमार, डिन्डोर, कलासुआ, अहारी, रोत, कटारा, ननोमा, भगोरा'' है। गाँव में अभी वर्तमान में ज्यादातर लोगों को राजस्थान सरकार के पेसा कानून के नियमों की जानकारी है । हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । जिसमे गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है । कभी कभी मुद्दा गंभीर हो तो यह मीटिंग अकस्मात भी बुला ली जाती है ।

गाँव का पूरा रकबा 110 हेक्ट है जिसमें आवासीय जमीन, कृषि योग्य जमीन, बेनामी जमीन, चारागाह और जंगल शामिल है । गाँव का जंगल, बिलानाम और चारागाह जमीन पर वन विभाग और सरकार का कब्ज़ा है । गाँव में पहाड़, 3 तालाब, 2 नाले, 3 एनीकट, 9 कुएं और 15 हेण्डपम्प, 2 विद्यालय, 1 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 2 आंगनवाड़ी, 7 बिजली की डी.पी., 1 पशु चिकित्सालय, 1 राशन की दुकान, 3 पक्की सड़क, 1 सी.सी. रोड, 2 कच्ची सड़क है । गाँव के 4 लोग सरकारी विभागों (शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग) में सेवारत है ।

आवागमन की स्थिति

हड़मतिया गाँव की मुख्य सड़क पक्की डामरीकृत है जो आगे समोता और कुबेरा गाँव निकल जाती है । इसके अलावा दो और सड़के पक्की है । पक्की सड़क से 1 सी.सी. सड़क निकलती है । गाँव के भीतर के पहाड़ी फलों में जाने के लिए 2 कच्ची सड़क ही है। गाँव के मुख्य सड़क से सरकारी बस 8 किमी की दूरी पर बटीकड़ा मोड़ (डूंगरपुर-आसपुर रोड़) से मिल जाती है और प्राइवेट बस गाँव के बस स्टैंड से मिल जाती है । ऑटो,जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है, लेकिन गाँव के फलों में

केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए बाजार आंतरी में है और मुख्य बाजार डूंगरपुर 20 किमी दूर है,जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में दो विद्यालय है 1. प्राथमिक विद्यालय 2. सीनियर सेकेंडरी विद्यालय । प्राथमिक विद्यालय के भवन के जर्जर होने और अध्यापकों की कमी के कारण सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शामिल कर दिया गया है इसके पश्चात् गाँव के सभी बच्चे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ने जाते है जो की नया बना है । इसमें इस शैक्षणिक वर्ष में 706 बच्चों का नामांकन हुआ है । विद्यालय में 20 अध्यापक सेवा में है तथा उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर जाना पड़ता है, जहां वे किराये पर कमरे लेकर रहते है। प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है । सीनियर सेकेंडरी विद्यालय स्कूल में खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । बारिश के पानी को रोकने के लिए पक्का टांका तो बनाया गया है लेकिन उसकी देखभाल और सफाई नहीं की जाती है । बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते है । गाँव में 2 आंगनवाडी है लेकिन एक आंगनवाडी की छत और फर्श दोनों ही टूटी हुई है इस कारण गाँव के बच्चे उसमे कम ही जाते है ।

गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 5 किमी दूर पुनाली में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 20 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल हड़मतिया गाँव में ही है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के सभी घरों में बिजली है। गाँव में 07 बिजली के ट्रांसफार्मर है। गाँव में 82 परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 40 इंदिरा आवास, 12 प्रधानमंत्री आवास और 30 मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है। तथा गाँव में 40 पेंशनधारी है, जिनमें 10 महिलायें तथा 11 पुरूषों को वृद्धावस्था पेंशन और 15 महिलाओं को विधवा पेंशन मिलती है और 4 महिलाऐ एकल नारी पेंशन योजना के तहत लाभांवित है। गाँव में लगभग सभी के पास जॉब कार्ड है लेकिन इससे मिलने वाले फायदों की जानकारी नहीं है । गाँव में लगभग 42 घरों कों उज्ज्वला गैस योजना के तहत चूल्हा और गैस सिलेन्डर उपलब्ध करा दिया गया है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि योग्य समतल जमीन नहीं के बराबर है अधिकतर कृषि जमीन पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पथरीली है, जिसपर गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की खेती की जाती है। लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है।

सिंचाई के पानी की स्थिति

सिंचाई के लिए पानी बारिश के बाद एक माह के लिए ही मिल पाता है । सिंचाई के लिए 3 तालाब (मोदेला तालाब, कलारिया तालाब और वडला तालाब), 2 नाले, 3 एनीकट, 9 कुएं है लेकिन सभी जल-स्रोत मध्य ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते है । गर्मी में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है । इसके अलावा 3 एनिकट है जिसमे से 2 एनिकट में दरारें पड़ गयी है, वे जर्जर हो गये है इस वजह से पानी ग्रीष्म ऋतु के मध्य में सूख जाता है । 9 कुओं में से 5 कुएं सूख जाते है और तीनो तालाब कम गहरे होने के कारण उनमे पानी का भराव भी कम होता है और वे जल्दी सूख जाते है । गाँव में कुछ लोगो ने निजी बोरवेल भी खुदवाये है और उसका पानी 2-3 खेत के लोग लेते है, बदले में बिजली के बिल का बटवारा करके दिया जाता है ।

हड़मतिया की विभिन्न चिन्हित समस्याओं का विवरण

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गांव में जंगल की स्थिति काफी बुरी है, जहां आज से 30 साल पूर्व पहाड़ियाँ हरी-भरी थी, यहां आज काफी कम जमीन पर जंगल है। समतल जमीन पर जंगल पूरी तरह से खत्म हो गया है और जहां पहाड़ियों पर जंगल है वो सिर्फ नाम के लिये जंगल है उसमें विलायती बबूल के पेड है। गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। गांव की जंगल की जमीन वन विभाग के कब्जे में है। अभी भी कुछेक पहाड़ियों पर सागवान, बबूल, नीम, ढाक के पेड़ है जहाँ जंगली जानवर भी रहते है। जंगल से चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है। जंगल में चारा काटने के लिये वन विभाग से अनुमति लेकर एक निश्चित राशि जमा करने के बाद ही चारा काटते है।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में ज्यादातर व्यक्तियों को उनके कब्जे की जमीन के व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले है । गाँव में बड़े पहाड़ है, लेकिन छोटी-छोटी डुंगरियों पर लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है। गाँव में जिन लोगों के पास खातेदारी हक है वो न्यूनतम दो बीघा और अधिकतम सात बीघा भूमि का है । ज्यादातर खेत उबड़-खाबड़ होने के कारण समतलीकरण की आवश्यकता है । सिंचाई के पानी की कमी के चलते खेतों में केवल बारिश की पानी से ही फसल पैदा की जाती है । गाँव में पानी की व्यवस्था के लिए 3 तालाब है लेकिन गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। बारिश के पानी को रोकने के लिये 3 एनीकट है, ये गर्मीयों के मौसम में सूख जाते है, क्योंकि पानी का रिसाव होता रहता है । गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में 9 कुएं है, जिसमे से 5 सूखे ही रहते है बाकी के 4 कुओं में हर साल गर्मी के खत्म होते-होते पानी खत्म हो जाता है। गाँव में 15 हैण्डपम्प है। जिनमें से 6 गर्मी के मौसम में सूख जाते है। गर्मी में पानी इतना गहराई में उतर जाता है कि बोरवेल में भी कम या बंद हो जाता है । सभी हैण्डपम्प और बोरवेल का पानी खारा फ्लोराइड युक्त है । वर्षाजल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है न ही पंचायत और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे रहे है ।

आवागमन की समस्या

हड़मतिया गाँव की मुख्य सड़क पक्की डामरीकृत है, इसके अलावा दो छोटी पक्की सड़के है । पक्की सड़क से 1 सी.सी. सड़क निकलती है । गाँव के भीतर के पहाड़ी फलों में जाने के लिए 2 कच्ची सड़क है। गाँव के भीतरी फलों में जाने के लिए जितनी भी कच्ची सड़के है वो इतनी सकरी है कि गुजरने वाले राहगीर पैदल या मोटर साइकिल से जा सकते है । सी.सी. सड़को पर खड्डे हो गये है जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका रहती है । रास्तों के अभाव में पहाड़ी पर रहने वाले बीमार व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाने में समस्या आती है । बारिश के मौसम में मिटटी की कच्ची सडको पर चलने वालो को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है । गाँव के बस स्टैंड से चलने वाले ऑटो और जीप चालक किराया भी ज्यादा वसूलते है और समय पर चलते भी नहीं है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में पढने वाले बच्चों के लिए केवल 2 विद्यालय है एक प्राथमिक विद्यालय और दूसरा उच्च माध्यमिक विद्यालय । प्राथमिक विद्यालय को भवन जर्जर होने और अध्यापकों की कमी के कारण उच्च माध्यमिक विद्यालय में शामिल कर दिया गया है । अभी वर्तमान में 706 छात्र- छात्राये पढ़ रहे है । विद्यालय में 20 अध्यापक नियुक्त है । विद्यालय में 4 नए कमरों की आवश्यकता है जिस कारण दो कक्षाए शामिल बैठ कर पढ़ती है । कम अध्यापकों के चलते बच्चों की पढाई भी बाधित हो रही है, कुछ नियुक्त अध्यापक भी समय पर स्कूल नहीं आते है क्योंकि वे दूर से विद्यालय में आते है । शिक्षा स्तर इतना निम्न है कि बड़ी कक्षा के बच्चे को गणित और अंग्रेज़ी मुश्किल से समझ आती है बल्कि विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा का उच्चारण और ज्ञान भी गलत है । इस प्रकार की विसंगतियों से हमारे राज्य की शिक्षा निति की पोल खुलती हुई महसूस होती है । सीनियर सेकेंडरी विद्यालय स्कूल में खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे रोजाना आते-जाते है ।

गाँव में 2 आंगनवाड़ी है । जिसमे से एक आंगनवाड़ी को मरम्मत की आवश्यकता है और पीने के पानी, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री की आवश्यकता है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 5 किमी दूर पूनाली में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 20 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल हड़मतिया गाँव में है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी और मुर्गीपालन किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बारिश ना होने के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरिदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 17000 रूपये में भूसे का ट्रक खरिदते है। पर्याप्त और पौष्टिक पशु आहार के अभाव में दूधारू पशु दूध भी कम देते है । गाय 1 लीटर और भैंस ढाई लीटर ही दूध देती है । दूधारू पशु भी अच्छी नस्ल के नही है ।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

हड़मतिया गाँव में केवल बारिश के मौसम में ही मुख्य खाद्यान्न फसल जैसे मक्का, दाले उगा ली जाती है, इसके अलावा जिन किसानों के पास सिंचाई करने के लिए बोरवेल है वे मोटर के जरिये पानी निकाल कर फसल का उत्पादन करते है । गाँव में भू-जल स्तर 250 फुट से भी नीचे चला गया है। कृषि उत्पादन केवल 4 या 5 माह ही चल पाता है, खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। राशन दुकान पर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट ना आना या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है और दूसरे गाँव के लोग (घटियाघरा, समोता, डूंगरा) भी आते है, जिसके कारण काफी लम्बी लाइन राशन लेने के लिये लग जाती है। तो लोगो को बार बार अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ने की मज़बूरी रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है चीनी तथा केरोसीन त्यौहारों पर ही मिलता है। हड़मतिया गांव में 30 प्रतिशत परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल चुका है। जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उनका भी केरोसीन बंद कर दिया गया है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये करीब 9 कुऐं, 3 तालाब और 3 एनिकट है। लेकिन अधिकतर गर्मी के मौसम में सूख जाते है। *यदि वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है । खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिये रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है जिससे खेती की उर्वरा शक्ति समाप्तप्राय हो गयी है । सिचाई के पानी में ज्यादा खारापन होने के कारण जमीन कठोर हो गयी है और उत्पादन घट गया है ।*

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गांव में रोजगार की स्थिति काफी खराब है गाँव में रोजगार का मुख्य साधन खेती और मजदूरी है, गांव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। गांव में नरेगा पर काम भी मिलता है। जिसमें गांव की सभी महिलायें जाती है तथा जो पुरूष यहां रह कर खेती करते है वे भी नरेगा में काम पर जाते है। गांव में सभी के पास नरेगा के जॉब कार्ड बने हुये है। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। रोजगार के साधनों के अभाव के पीछे मुख्य कारण अच्छी तकनीकी शिक्षा नहीं मिलना और उन्नत खेती के प्रशिक्षण का अभाव है

अन्य

गाँव में 1 श्मशान घाट है लेकिन उसपर टीन या छाया की व्यवस्था नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है । गाँव में आर.प्लांट की सुविधा नहीं है जिस कारण लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला	गाँव में कोई नदी नहीं है । गाँव में 2 नाले है। जो बारिश के मौसम में चालू	फ्लोराइड मुक्त पेयजल के लिए गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना । तीनों तालाब को

एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	रहते है लेकिन बारिश के मौसम के बाद ही सूख जाते है । 3 एनीकट बने हुए है, उनमे पानी बारिश के समय ही रहता है, क्योंकि उनमे लगातार रिसाव होता है । गाँव में 9 कुएं और 15 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है । गाँव में सिंचाई और मवेशियों के पानी के लिये 3 तालाब है लेकिन कम गहराई होने से ज्यादा पानी का भराव नहीं हो पाता है और गर्मी समाप्त होने से पहले ही सभी में पानी सूख जाता है । गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	गहरा करवा कर रिंगवाल बनाई जाये तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है और सिचाई भी पूरी हो सकती है । दोनों जर्जर एनीकटो को मरम्मत करके ठीक किया जाये । नहरे निकाली जाये तो खेतों में सिंचाई की सुविधा अच्छी हो सकती है । नाले के रास्ते पर छोटे छोटे चेकडेम बनाये जाए इससे तालाब में भी पानी अधिक समय तक रुक जाएगा । गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। बोरेवेल का उपयोग कम करना ताकि एकदम से पानी का स्तर नीचे नहीं जाये ।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह पहाड़	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव की पूरी जमीन 110 हेक्ट है जिसमें कृषि जमीन, बेनामी जमीन, जंगल पर सरकार और वन विभाग का अधिकार है। पहाड़ियों पर जंगल सिर्फ नाम के लिये जंगल है उसमें विलायती बबूल के पेड है। गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। कुछ पहाडियों पर सागवान, बबूल, नीम, ढाक के पेड है । जंगल से चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है।	गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। पाईप लाइन की व्यवस्था करके सिंचाई की कमी पूरी हो सकती है । गाँव की बेकार पड़ी जमीन जिस पर किसी प्रकार की खेती या उपज नहीं होती है, को गाँवसभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जंगल को गाँव के अधीन लेकर बबूल को हटाकर जंगल को फिर से जीवित करना और लघुवन उपज लेना ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव में 3 पक्की सड़के है लेकिन मात्र 1 सी.सी. सड़क है । 2 कच्ची मिट्टी की सड़के है। सड़को के अभाव में सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी की ऊंचाई पर	गाँव के सभी कच्चे रास्ते चौड़े करके सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़क को चौड़ा करके पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में

	रहने वालो को होती है, मरीजों और गर्भवती महिलाओ को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है जिसके कारण जनहानि की सम्भावना बनी रहती है और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है ।	सुविधा होगी ।
प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल	गाँव में 1 प्राइमरी स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल है । प्राथमिक स्कूल का भवन कमजोर होने के कारण नए उच्च माध्यमिक स्कूल में शामिल कर दिया गया है । स्कूल में कक्षाओ की कमी, बारिश में पानी टपकने की समस्या है । शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है । बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक भी नहीं है । जिससे बच्चों की पढाई का स्तर एकदम गिर गया है ।	प्राथमिक स्कूल की मरम्मत और नये कमरे बनवाना । शौचालय की भी मरम्मत करवा कर पानी की व्यवस्था करना है। खेल के मैदान को बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । स्कूल में बच्चों के पीने के पानी के लिए आर.ओ. प्लांट लगाया जा सकता है ताकी बीमारियों से मुक्त रहे । पूरे अध्यापक नियुक्त किये जाये ।
आंगनबाड़ी केंद्र	गाँव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन एक आंगनवाडी की छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है और फर्श भी टूट गयी है । पीने के पानी और अक्षर ज्ञान की सुविधा नहीं है ।	छत और फर्श की मरम्मत करवानी है । छोटा आर.ओ. प्लांट लगाना है । खेलने और अक्षर ज्ञान के लिए समुचित प्रबन्ध करना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के स्कूल है, सभी विषय के अध्यापक नही है, प्राइमरी स्कूल जर्जर हो गया है । उच्च माध्यमिक स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी के लिए आर. ओ.	गाँव के स्कूल में पूरे अध्यापक लगाये जाये और प्राथमिक स्कूल को ठीक कराकर पुनः शुरू किया जाये और नए कमरे बनाये जाये तथा सभी सुविधाये अच्छी और पूरी दि जाये ।	तात्कालिक

			नहीं लगा है । कक्षा-कक्षों की कमी है ।		
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव का जलस्तर 250 फिट से नीचे चला गया है । गाँव में कुएं और हैंडपंप आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है और जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। दूषित जल पीने से बिमारिया हो रही है ।	जो हैंडपंप बंद हो गये है उन्हें गहरा कर चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकी फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	**दीर्घकालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई के लिए 2 नाला है । बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 3 एनिकट और 3 तालाब है लेकिन दो एनिकट जर्जर होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ।	अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए ढलान वाले इलाकों में कच्चे चेक डैम का निर्माण। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। घर के आँगन में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 3 पक्की सड़के है जिसमे 2 कम लम्बाई की है । गाँव में सी.सी. सड़क मात्र 1 है । कच्ची सड़के भी बारिश के समय कीचड़ में हो जाती है । आने-जाने में समस्या रहती है ।	गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद कच्ची सड़क कों सी.सी. सड़क में बदलना और जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं ।	**तात्कालिक**

5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण, पेंशन संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में सभी लोगो को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है । गाँव में अभी भी लोगो को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उनके नाम सूची में नहीं जुड़े है । और जिनके आवास तैयार है उनको पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है । पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है।	गाँवसभा के जागरूक सदस्यों के द्वारा सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना।जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक भूमि पर अधिकार नहीं**	**सार्वजनिक**	गाँव में लोग अपनी कई पीढ़ीयों से रह रहे है, लेकिन उन्हें उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक पट्टा नहीं मिला है । वर्तमान में राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उन्हें उनकी जमीन से हटा देने का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अभाव में गाँव के लोगो ने जंगल, चारागाह की जमीन पर दावा की फाइल नहीं लगाई है	व्यक्तिगत दावा और जंगल की जमीन के लिए सामुदायिक दावा करना । कब्जे की जमीन की पैनल्टी कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान हड़मतिया गाँव में है वहां और भी दूसरे गाँव से लोग आते है और अक्सर पॉस मशीन में	राशन की दुकान पालमांडव में ही खोली जाये और ऐसे स्थान पर हो जहाँ इन्टरनेट की	**तात्कालिक**

			फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । अनाज में केवल गेहूँ दिया जाता है, शक्कर और केरोसिन त्यौहार पर मिलता है ।	समस्या ना आये । जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना ।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	गाँव में पक्की सड़क केवल गाँव में आने-जाने के लिए है । गाँव में सी.सी. सड़के और कच्ची सड़के ज्यादा नहीं है । पहाड़ियों पर केवल पगडण्डिया ही है ।	रास्ते अच्छे होने से बीमार लोगों को आसानी से समय रहते इलाज मिल सकता है । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव के लोगो में इसे लेकर उदासीनता है की यह कार्य सरकार व पंचायत का है । गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना, सरकार तथा पंचायत की उदासीनता। समस्या से प्रभावित लोगो का गाँव सभा में नही आना ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में 2 नाला है जिस पर 3 एनिकट भी बने है लेकिन गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । 3 तालाब भी है लेकिन उनमे भी पानी नहीं रहता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना ।	पहाड़ी ढलानों पर कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, तालाबों का गहरीकरण । पानी को रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना । जिससे अशुद्ध पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है । भू-जल को सही तरीके से संरक्षित करना बोरवेल का उपयोग कम करना	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

	सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	ताकी जल स्तर एकदम से नीचे न जाये ।	
रोजगार के साधन	गाँव में रोजगार के साधन खेती या नरेगा है । कृषि उत्पादन की कमी । अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव । अच्छी तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलना ।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव । जमीन के बेहतर प्रबंधन की कमी।
जमीन	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

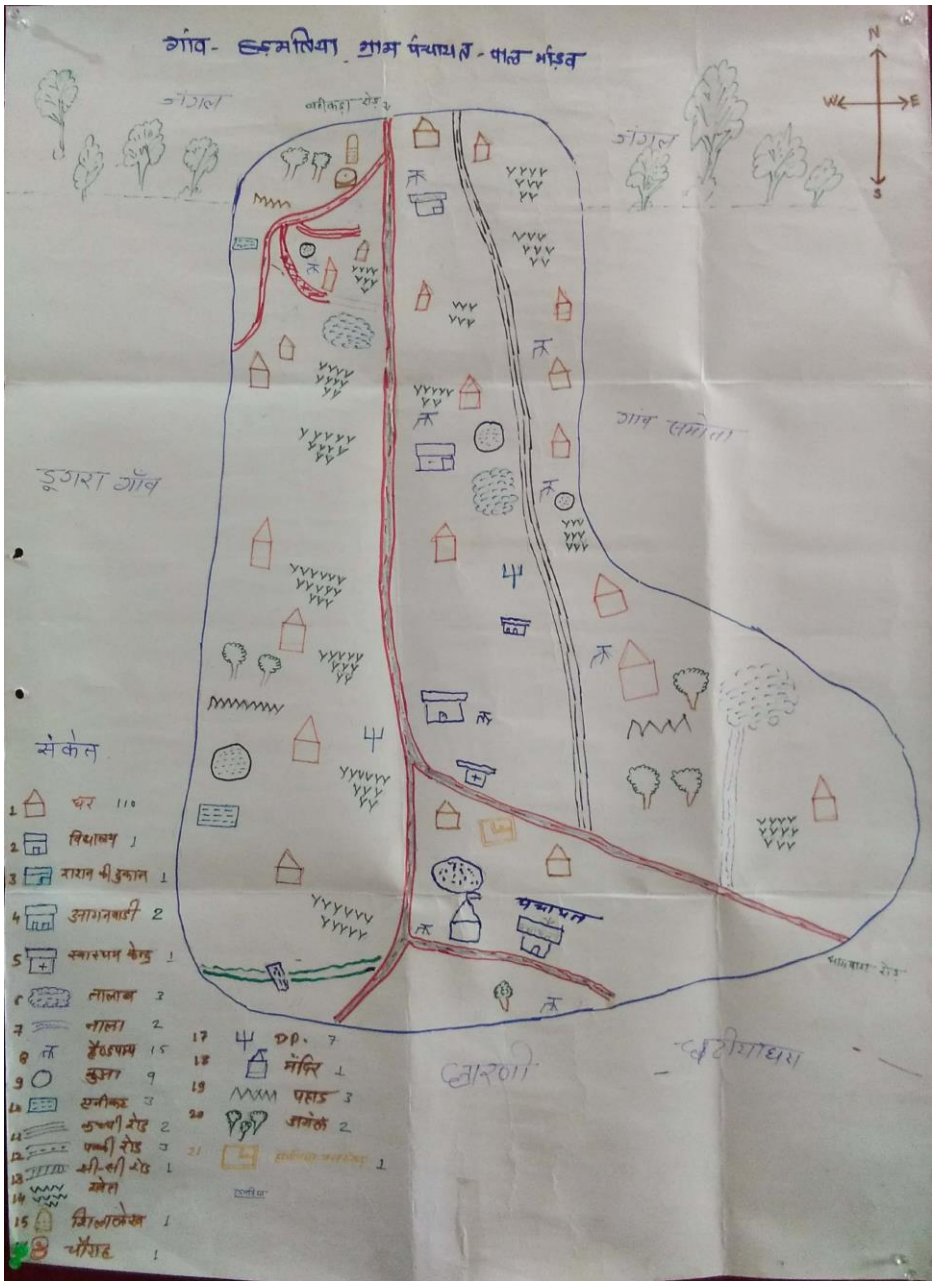

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में	
वृद्धा पेंशन	27
विधवा पेंशन	3
विकलांग पेंशन	5

पालनहार 1-5 वर्ष = 1, 6-8 वर्ष = 1	2
पी.एम., सी.एम. आवास योजना	16
शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में	11
शौचालय की बकाया राशि भुगतान के सम्बन्ध में	2
स्कूल के सम्बन्ध में अध्यापक नियुक्ति, 4 नये कमरे, प्रा. वि. का पुनर्निमार्ण, आर. ओ. प्लांट लगाना,	उ.मा.वि. और प्रा. वि.
आंगनवाडी पुनर्निमार्ण	1
मिनी आंगनवाडी निर्माण	1
स्वास्थ्य केंद्र निर्माण	1
आयुर्वेदिक औषधालय पुनर्निमार्ण	1
राशन की दुकान का पुनर्निमार्ण	1
सार्वजनिक कुआं गहरीकरण	1
तालाब गहरीकरण व रिंगवाल	3
सड़क निर्माण	
पक्की डामर सड़क	1
सी. सी. सड़क	5
कच्चा रास्ता	2
हैंडपंप के सम्बन्ध में	
नए हैंडपंप	10
हैंडपंप मरम्मत	7
चेकडैम निर्माण	
चेकडैम मरम्मत	2
पक्के चेकडैम	3
कच्चे चेकडैम	6
एनिकट मरम्मत	2
नया एनिकट निर्माण	1
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण और मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	52
शमशान घाट निर्माण (स्नानघर, टिन-शेड, चबूतरा)	1
गाँवसभा के द्वारा आपसी विवाद निपटारा	
सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में	
सामुदायिक दावा प्रस्तुत करना	
काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा लगाना	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

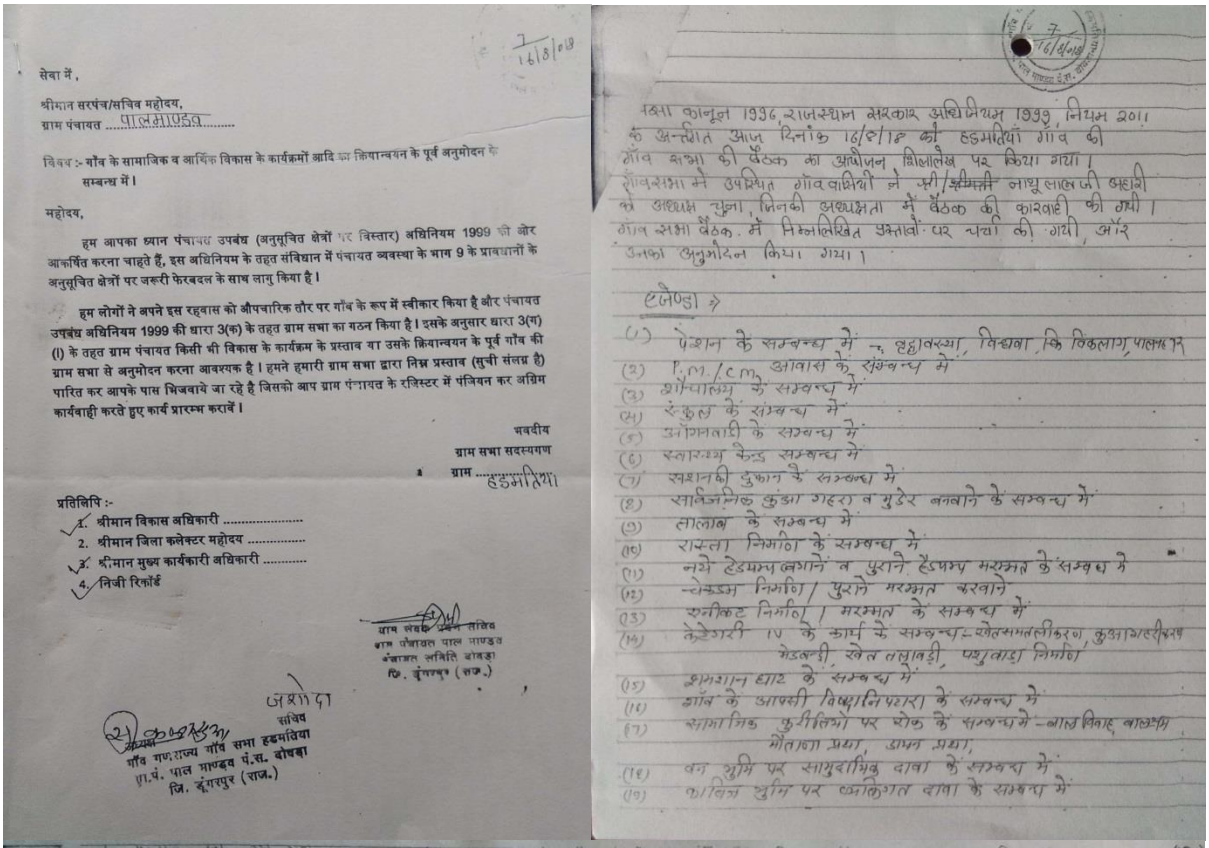

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ...पालमाण्डव...

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ...हडमतिया

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत पाल माण्डव
पंचायत समिति डोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

जशोदा
सचिव

अध्यक्ष
गाँव गणराज्य गाँव सभा हडमतिया
ग्रा.पं. पाल माण्डव पं.स. डोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999, नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 16/8/18 को हडमतियाँ गाँव की गाँव सभा की बैठक का आयोजन शिलालेख पर किया गया। गाँवसभा में उपस्थित गाँववासियों ने श्री/~~श्रीमती~~ नाथूलालजी अहारी को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कारवाही की गयी। गाँव सभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी, और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा ⇒

(1) पेंशन के सम्बन्ध में – वृद्धावस्था, विधवा, कि विकलाग, पालनहार
(2) P.M./C.M. आवास के सम्बन्ध मे
(3) शौचालय के सम्बन्ध में
(4) स्कूल के सम्बन्ध में
(5) आँगनवाड़ी के सम्बन्ध में
(6) स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्ध मे
(7) राशनकी दुकान के सम्बन्ध मे
(8) सार्वजनिक कुंआ गहरा व मुंडेर बनवाने के सम्बन्ध में
(9) तालाब के सम्बन्ध मे
(10) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध मे
(11) नये हेंडपम्प लगाने व पुराने हैंडपम्प मरम्मत के सम्बध मे
(12) चेकडैम निर्माण / पुराने मरम्मत करवाने
(13) एनीकट निर्माण / मरम्मत के सम्बन्ध में
(14) केटेगरी IV के कार्य के सम्बन्ध :- खेतसमतलीकरण, कुआगहरीकरण मेडबन्दी, खेत तलावड़ी, पशुवाड़ा निर्माण
(15) श्मशान घाट के सम्बन्ध में
(16) गाँव के आपसी विवादनिपटारा के सम्बन्ध मे
(17) सामाजिक कुरीतियो पर रोक के सम्बन्ध मे – बाल विवाह, बालश्रम मौताणा प्रथा, डायन प्रथा,
(18) वन भुमि पर सामुदायिक दावा के सम्बन्ध मे
(19) काबिज भुमि पर व्यक्तिगत दावा के सम्बन्ध मे

क्र.	प्रस्ताव जो रखे गये	प्रस्ताव जो पारित हुये	अनुमानित राशि	सम्बंधित विभाग	हस्ताक्षर
प्रस्ताव संख्या (17)	सामाजिक कुरीतियों को रोकने के सम्बंध में — डायन प्रथा, मौताना प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम	प्रस्ताव संख्या 17 में प्रस्ताव सामाजिक कुरितियों – डायनप्रथा, मौताना प्रथा, बाल विवाह, बालश्रम, पर गाँव सभा द्वारा रोक लगाने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया।		गाँव सभा हडमतियाँ	
प्रस्ताव सं. (18)	सामुदायिक वन दावा प्रस्तुत करने के सम्बंध में प्रस्ताव लेना व फाइल पेश करना	प्रस्ताव सं. 18 में प्रस्तावित सामु. वन पर सामुदायिक वन दावा प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को गाँव सभा में सर्वसम्मति से पारित किया।		वन विभाग	
प्रस्ताव सं. (19)	काबिज भूमिपर व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करने के सम्बध में —	प्रस्ताव सं. 19 में प्रस्तावित काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा पेश करने के प्रस्ताव को गाँव सभा में सर्वसम्मति से पारित किया		वन विभाग	

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।
1) सूरजमल कलासुआ (2) तेजपाल परमार
3) शंकरलाल डेन्डोर 4) नाथूलाल अहारी
5) देवराम परमार

अध्यक्ष नाथूलालजी अहारी द्वारा गाँव सभा में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देकर गाँव सभा की बैठक का समापन किया गया।

(बैठक अध्यक्ष)

(गाँव सभा अध्यक्ष) (गाँव सभा सचिव)

जशोदा
अध्यक्ष सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा हडमतिया
ग्रा.पं. पाल माण्डव पं.स. डोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. सूरजमल कलासुआ	8003384668
2. शंकरलाल	9929707231
3. तेजपाल परमार	9166209275
4. नाथूलाल परमार	